बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र04–उ0न्या0–47/2017– 2685 खाद्य, पटना/दिनांक– 19/06/19

प्रेषक,

चन्द्रशेखर, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा– 6A, 6B एवं 6C के आलोक में आवश्यक कार्रवाई के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक – 5330 दिनांक – 19.11.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा– 6A के तहत दर्ज अधिहरण की कार्रवाई के विरूद्ध विभिन्न वादियों द्वारा समय–समय पर वाद दायर किये जाते हैं, जिससे अनावश्यक रूप से जिला स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित वादों की संख्या में वृद्धि होती है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में विभागीय पत्रांक–5330 दिनांक–19.11.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा– 6A के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0पी0ए0 संख्या–1647/2015 बालेश्वर राय बनाम बिहार सरकार एवं अन्य संगत वाद में पूर्ण पीठ द्वारा दिनांक 01.11.2018 को पारित आदेश के आलोक में कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया है।

विदित हो कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उक्त आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा–6A, 6B एवं 6C में वर्णित प्रावधानों के आलोक में अधिग्रहण की कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि अधिग्रहण की स्थिति में वादी द्वारा सीधे माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर कर दिया जाता है, जिससे अधिग्रहण की कार्रवाई प्रभावित होती है, जबकि अधिनियम की धारा–6C में यह प्रावधानित है कि "धारा– 6A के अधीन राज्यसात किये जाने के आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति उक्त आदेश को उसे संसूचित किये जाने की तारीख से एक महीना के भीतर सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी न्यायिक पदाधिकारी के यहाँ अपील कर सकेगा और न्यायिक पदाधिकारी, अपीलकर्त्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपीलाधीन आदेश को सम्पुष्ट, रूपांतरित या रद्द करते हुए वैसा आदेश पारित करेगा जो उसे उचित लगेगा"। उक्त कार्य हेतु अधिसूचना संख्या–जी0एस0आर0–07, दिनांक–30.10.2000 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को अपने क्षेत्राधिकार में न्यायिक प्राधिकारी का कर्त्तव्य एवं कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया है।

अतः वर्णित स्थिति में यह अपेक्षित है कि अधिहरण से संबंधित वादों में अधिनियम की धारा–6A एवं 6C में निहित प्रावधानों एवं पूर्ण पीठ द्वारा दिनांक 01.11.2018 को पारित आदेश के आलोक में सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रावधानों से अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

अनु0–यथोक्त।

ह0/- 19/6/19
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र04–उ0न्या0–47/2017– 2685 खाद्य, पटना/दिनांक– 19/06/19

प्रतिलिपि – अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना एवं सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दायर किये जाने वाले वादों में उपर्युक्त तथ्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र04–उ0न्या0–47/2017– 2685 खाद्य, पटना/दिनांक– 19/06/19

प्रतिलिपि – अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेश देना चाहेंगे।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव।

D:M: 2019 Sec 4 Letter.doc

निबंधन सं० पी० टी०-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 कार्तिक 1922 (श०)

(सं० पटना 419) पटना, सोमवार, 30 अक्तूबर, 2000

खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

अधिसूचना

25 अक्तूबर, 2000

जी० एस० आर० 7, दिनांक 30 अक्तूबर, 2000—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा 6 सी० के उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को उक्त अधिनियम की धारा-6 सी० के अधीन अपने क्षेत्राधिकार में न्यायिक प्राधिकारी का कर्त्तव्य एवं कार्य करने हेतु नियुक्त करते है।

(प्र०-9 ब2-0198-4505/आ०वा०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(ह०)-अस्पष्ट,

सरकार के सचिव

25 अक्तूबर, 2000

जी० एस० आर० 8, जी० एस० आर० 7, दिनांक 30 अक्तूबर, 2000 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(ह०)-अस्पष्ट,

सरकार के सचिव

25th October, 2000

G.S.R. 7, dated 30th October, 2000—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 6-C of the Essential Commodities Act 1955 (Act 10 of 1955) the Governor of Bihar is pleased to appoint all the District and Session Judges to discharge the duties and functions of judicial authority under section 6-C of the said Act within their respective jurisdictions.

(PRA-9-B2-01/98-4505/आ० वा०)

By order of the Governor of Bihar,

Sd- Illegible

Secretary to Government.

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 419-745+2000—न० सा० माथूर